विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-13/15

मेसर्स सम्यक फेब्रिक्स प्रा.लि.. — आवेदक
द्वारा– श्री प्रवीण नागर
खसरा नं. 200/6, एमार्गिद लोधीपुरा
बिमानी कम्पाउण्ड के पीछे,
बुरहानुपर (म.प्र.)

विरूद्ध

मुख्य अभियंता (पूर्व क्षेत्र) — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
जीपीएच कम्पाउण्ड, पोलो ग्राउण्ड, इंदौर।

अधीक्षण अभियंता (संचा./संधा.)
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
लालबाग रोड, बुरहानुपर म.प्र.

आदेश
(दिनांक 07.02.2016 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0291215 मेसर्स सम्यक फेब्रिक्स प्रा.लि. बुरहानपुर विरूद्ध मुख्य अभियंता (पूर्व क्षेत्र), म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. इंदौर एवं अन्य 1 में पारित आदेश दिनांक 16.3.2015 के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 विद्युत लोकपाल कार्यालय में दर्ज प्रकरण क्रमांक एल00–13/15 में तर्क एवं लिखित वहन हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 आवेदक द्वारा अपने अभ्यावेदन पत्र में मुख्यतः उनके परिसर में लगी सीटीपीटी (एमई) दिनांक 27.11.2014 को जलने पर अनावेदक द्वारा उनसे वसूल की गई कीमत को वापस दिलाने हेतु अनुरोध किया।

04 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि उनके द्वारा परिसर में स्थापित सीटीपीटी से आईल लीक होने की शिकायत की गई परन्तु उक्त शिकायत का अनावेदक द्वारा निराकरण नहीं किया गया।

05 अनावेदक द्वारा आवेदक के आवेदन के प्रति उत्तर में अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा सीटीपीटी से आईल लीकेज की शिकायत दिनांक 21.11.2013, 10.1.2014 व 6.6.2014 को की गई आवेदक की शिकायत के आधार पर सहायक यंत्री (अनुरक्षण) द्वारा आईल लीकेज बंद कर दिया गया ।

06 उक्त सीटीपीटी का परीक्षण दिनांक 5.10.2015 को आवेदक के प्रतिनिधि के सम्मुख खोलकर टेस्टिंग प्रयोगशाला, इंदौर में किया गया था। (ओई–1) परीक्षण में एमई की सीटी का बी फेज ओपन पाया गया था एवं सीटीपीटी में आईल भरा पाया गया। परीक्षण रिपोर्ट पर अनावेदक के विभाग के अधिकारी एवं आवेदक के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर हैं।

07 अनावेदक द्वारा अपने प्रतिउत्तर में बताया गया कि परीक्षण के दौरान सीटीपीटी यूनिट में सीटी में खराबी बताई गई तथा प्रचलित नियमों का उल्लेख करते हुए बताया गया कि करंट ट्रांसफार्मर में खराबी होने पर उपभोक्ता की गलती होती है और पोटेंशियत ट्रांसफार्मर खराब होने पर अनावेदक की गलती होती। इस प्रकरण में तकनीकि रूप से यह भी देखा गया कि यदि आईल कम होने से एमई जली/खराब हुई होती तो उसके सीटीपीटी यूनिट दोनों खराब होती। परन्तु इस प्रकरण में करंट ट्रांसफार्मर का एक फेज का वायर ओपन होना उपभोक्ता परिसर में उपभोक्ता का फाल्ट या लोड ज्यादा होना ही इंगित करता है। अतः करंट ट्रांसफार्मर में त्रुटि होना पाये जाने पर आवेदक की जिम्मेदारी है। अतः उनसे जमा कराई गई राशि वापस करने योग्य नहीं है। (ओई–1)

08 आवेदक द्वारा उपरोक्त सीटीपीटी का परीक्षण स्वतंत्र एजेंसी से करने हेतु अनुरोध किया गया जिसे स्वीकार करते हुए अनावेदक को उक्त सीटीपीटी का स्वतंत्र प्रयोगशाला में पुनः परीक्षण हेतु निर्देशित किया। (ओई–2)

09 आवेदक द्वारा स्वतंत्र प्रयोगशाल में परीक्षण करने हेतु निर्धारित फीस/चार्जेस जमा करने हेतु पत्र द्वारा सूचित किया गया। (ओई–3) अनावेदक द्वारा बताया गया कि चार्जेस अधिक होने के कारण सीटीपीटी का परीक्षण उनके विद्युत तकनीकि सलाहकार के सम्मुख इंदौर टेस्टिंग प्रयोगशाल में ही करने का अनुरोध किया। अतः न्याय की दृष्टि से उन्हें इसकी स्वीकृति देते हुए अनावेदक को आवेदक के तकनीकि सलाहकार के सम्मुख सीटीपीटी का परीक्षण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

10 दिनांक 3.2.2016 को उपरोक्त सीटीपीटी यूनिट को खोलकर पुनः परीक्षण किया गया जिसकी संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 5.2.2016 को प्रस्तुत की गई। (ओई–4)

11 परीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि करंट ट्रांसफार्मर के बी फेस की क्वाइल का कुछ भाग जला हुआ पाया गया।

12 अनावेदक द्वारा इस संबंध में कोई लिखित वहस अथवा तर्क प्रस्तुत नहीं किया। जबकि आवेदक द्वारा सीटी की बी फेस की क्वाइल का कुछ भाग जला हुआ पाये जाने पर यह बताया गया कि उनके

द्वारा पूर्व में आईल लीकेज की शिकायत की थी । शिकातय समय से अटेण्ड नहीं करने के कारण तथा आईल कम होने के कारण बी फेज की सीटी की क्वाइल का कुछ भाग जल गया तथा उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अगस्त 2013 से मार्च 2015 तक उनके यहॉ कभी भी ओवर लोडिंग नहीं हुई जिसकी पुष्टि हेतु उनके द्वारा उस अवधि में दर्ज की गई एमडी (ओई–5) प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

13 अनावेदक द्वारा इस संबंध में बिन्दु क्रमांक 07 में सीटीपीटी में सीटी जलने का कारण उपभोक्ता/ आवेदक के यहॉ फाल्ट होना दर्शाया है। जिसकी पुष्टि दिनांक 3.2.2016 को सीटीपीटी के कोर इन्स्पेक्शन की परीक्षण रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि सीटीपीटी के बी फेस की क्वाइल का कुछ भाग जलना पाया गया है।

14 अनावेदक द्वारा अपने प्रति उत्तर में यह उल्लेख किया गया कि आवेदक की शिकायत दिनांक 21.11.2013, 10.1.2014 एवं 6.6.2014 के संबंध में सहायक यंत्री (अनुरक्षण) द्वारा एमई में सुधार कार्य कर आईल लीकेज बंद कर दिया गया था ।

15 अनावेदक द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 28.7.2014 को आवेदक के परिसर में एमई (सीटीपीटी) चैक करने पर कोई भी आईल लीकेज होना नहीं पाया गया परन्तु पहले आईल लीकेज हुआ होगा उसके निशान दिखाई दे रहे हैं। (ओई–6)

उपरोक्त तर्कों एवं लिखित वहस से यह निष्कर्ष निकलता है कि –

16 आवेदक द्वारा अनावेदक को समय–समय पर उनके परिसर में स्थापित सीटीपीटी (एमई) में आईल लीकेज होने की शिकायत की गई । अनावेदक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त शिकायत का निराकरण कर दिया गया था। अनावेदक द्वारा इस संबंध में एक स्थल पंचनामा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई (ओई–6)। जिसमें उनके द्वारा दिनांक 28.7.2014 को आवेदक के परिसर का भौतिक सत्यापन करने का उल्लेख करते हुए इसका उल्लेख किया गया कि निरीक्षण के समय सीटीपीटी में कोई आईल लीकेज नहीं पाया गया परन्तु पूर्व में कभी आईल लीकेज हुआ होगा, उसके निशान दिखाई दे रहे थे। इससे अप्रत्यक्ष रूप से यह सिद्ध होता है कि आवेदक के परिसर में सीटीपीटी (एमई) का आईल लीकेज बंद कर दिया गया था।

17 आवेदक के परिसर में स्थापित सीटीपीटी(एमई) दिनांक 27.11.2014 को त्रुटिग्रस्त अथवा जली है। इसका मतलब आईल लीकेज की प्रथम शिकायत दिनांक 2.11.2013 के पश्चात लगभग एक वर्ष के बाद सीटीपीटी में त्रुटि आई अथवा जली है। जबकि आईल लेवल कम होने पर एवं उनकी फैक्ट्री निरंतर चलने के कारण सीटीपीटी पूर्व में ही जल जानी चाहिए थी।

18 अनावेदक द्वारा सीटीपीटी जलने का तकनीकि कारण उनके प्रतिउत्तर (ओई–1) के बिन्दु क्रमांक 6 में दर्शाया गया है तथा सीटीपीटी की परीक्षण रिपोर्ट जिसमें कि बी फेस ओपन होना पाया

गया था जिसके आधार पर सीटीपीटी को फेल होना दर्शाया गया । इसकी पुष्टि हेतु उक्त सीटीपीटी का पुनः कोर परीक्षण करने के निर्देश दिये गये थे। इसके परिपालन में संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें कि आवेदक के तकनीकि सलाहकार के हस्ताक्षर भी हैं। इसके अनुसार सीटीपीटी (एमई) के बी फेस की क्वाइल का कुछ भाग जलना पाया गया। जिसका कारण अनावेदक द्वारा दिनांक 5.2.2016 को तर्क के दौरान बताया गया कि आवेदक की फैक्ट्री में कोई फाल्ट अथवा ओवर लोड होने से हुआ है। यद्यपि अगस्त 2013 से मार्च 2015 तक आवेदक के परिसर में स्वीकृत संविदा भार से अधिक भार लिया जाना अंकित नहीं हुआ।

19 उपरोक्त निष्कर्ष से इस बात की पुष्टि होती है कि आवेदक के परिसर में कोई न कोई फाल्ट होने से सीटीपीटी के बी फेस के करंट ट्रांसफार्मर की कुछ क्वाइल जल गई। अतः उपरोक्त वर्णित तकनीकि कारण जिसकी पुष्टि कोर इन्सपेक्शन के परीक्षण रिपोर्ट से होता है, के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि–

अ अनावेदक **मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययें तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009** के परिशिष्ट में दर्शाये बिन्दु क्रमांक 6 के अनुसार सीटीपीटी(एमई) यूनिट की कीमत की अवमूल्यन (Depriciated Cost) राशि ही आवेदक से ले। यदि इस राशि से अधिक राशि आवेदक से ली गई हो तो उसका समयोजन उनके विद्युत देयकों में किया जाए।

20 फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है।

21 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल